रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 19, 2001/चैत्र 29, 1923

No. 180] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 19, 2001/CHAITRA 29, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2001

सा०का०नि० 263 (अ).—भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना स० 221(अ), तारीख 28 मार्च, 2001 मे, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उपखंड (1) मे पृष्ठ स० 1 से 9 तक मे प्रकाशित हुई थी,

(क) पृष्ठ 1 की पक्ति 15 मे "उप नियम (18)" के स्थान पर "उपनियम (18) तथा उपनियम (19)" पढे,

(ख) पष्ठ 3 की पक्ति 29 व 30 में "आपूर्तिकर्त्ताओ को केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करेगी" के स्थान पर "विनिर्माताओ को केन्द्रीय सड़क अनुसधान सस्थान, नई दिल्ली या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अभिकरण अनुमोदित करेगा" पढ़ें।

[फा० स० आर टी-11028/3/2000-एम वी एल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th April, 2001

G. S. R. 263 (E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways No GSR 221 (E) dated the 28th March, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) at pages 10 to 22

(a) At Page 10, in line 23, for "sub-rule (18)", read "sub-rule (18) and sub-rule (19)",

(b) At Page, 20, in line 19, for "cycles and shall", read "cycles and three-wheelers shall"

[F No RT-11028/3/2000-MVL]

ALOK RAWAT, Jt Secy

1166 GI/2001

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road Mayapuri New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054